

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

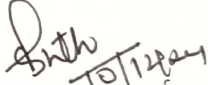
सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-56/2024-25

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) 1. प्रहलाद राय पिता-स्व० फागु राय, 2. लोबी राय पिता-स्व० डोमन राय, जाति-भुईया, ग्राम-तियाड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तियारा, थाना नं०-95, खाता नं०-34, प्लॉट नं०-117, रकबा-11.50 डी०, प्लॉट नं०-125, रकबा-01.25 डी०, दोनों प्लॉटों का कुल रकबा-12.75 डी० भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 404/भू०सु०, दिनांक 24.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2040 दिनांक 24.08.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जानेवाली भूमि खतियान रैयती खाते की है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है, खतियानी रैयत से विक्रेता का संबंध पितामह है। 3. पंजी II रैयत से विक्रेता का संबंध पिता है। 4. (क) विक्रेता ग्राम-तियाड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता ग्राम-तियाड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता (ST मामले में) लागू नहीं है। 6. विक्रेता एवं क्रेता SC हैं दोनों एक ही जिला के अन्तर्गत है एवं बिक्री की जानेवाली भूमि बोकारो जिला में है। 7. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के भूईया हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास रकबा-1.57 एकड़ जमीन अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 10.37 एकड़ भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को खतियान से प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 30/1 पर जमाबंदी विषु राय दीगर के नाम पर कायम है। लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है। ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं०-01, पृष्ठ सं०-30 में अंकित है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म गोड़ा तीन, पुरातन पतित है। 18. आवेदक को मौजा-तियारा, थाना नं०-95, खाता नं०-34, प्लॉट नं०-117, रकबा-11.50 डी०, प्लॉट नं०-125, रकबा-01.25 डी०, दोनों प्लॉटों का कुल रकबा-12.75 डी० भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर की गई कार्रवाई के बारेमें टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2020/192381 दिनांक 19.10.2020, JHLRCO/2024/567030 दिनांक- 26.07.2024 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2017/1380286 दिनांक 23.10.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. प्रहलाद राय पिता-स्व० फागु राय, 2. लोबी राय पिता-स्व० डोमन राय, जाति-भुईया, ग्राम-तियाड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तियारा, थाना नं०-95, खाता नं०-34, प्लॉट नं०-117, रकवा-11.50 डी०, प्लॉट नं०-125, रकवा- 01.25 डी०, दोनों प्लॉटों का कुल रकवा-12.75 डी० भूमि (क्रेता) अनिल राय पिता-लालु राय, जाति-भुईया, ग्राम-तियाड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	c.c. issued  14/12/24